उचित व्यापार के 10 सिद्धांत

17 जुलाई 2014

डबल्यूएफ़टीओ ने 10 सिद्धांतों का प्रावधान किया है जिन्हें उचित व्यापार संगठनों को अपने दैनंदिन कार्यों में पालन करना होगा और इन सिद्धांतों को बरकरार रखे जाने को सुनिश्चित करने के लिए इनकी निगरानी भी की जाती है:

1. पहला सिद्धांत: आर्थिक रूप से वंचित उत्पादकों के लिए अवसर पैदा करना
व्यापार के माध्यम से गरीबी उन्मूलन संगठन के उद्देश्यों का एक प्रमुख हिस्सा है। संगठन अधिकारहीन/हाशिये पर पड़े छोटे उत्पादकों का समर्थन करता है भले ही वह स्वतंत्र पारिवारिक व्यवसाय में लगे हों या संघ या सहकारी समितियों में वर्गीकृत किए गए हों। यह उन्हें आय की असुरक्षा व गरीबी से आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वामित्व की ओर ले जाने का प्रयास करता है। संगठन के पास इसे कार्यान्वित किए जाने के लिए एक योजना है।

2. दूसरा सिद्धांत : पारदर्शिता और जवाबदेही
संगठन अपने प्रबंधन और वाणिज्यिक संबंधों में पारदर्शी है। यह अपने सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेह है और दी गई व्यावसायिक जानकारी की संवेदनशीलता और गोपनीयता का सम्मान करता है। संगठन अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में कर्मचारियों, सदस्यों और उत्पादकों को शामिल करने के लिए उचित भागीदारी तरीके अपनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रासंगिक जानकारी अपने सभी व्यापार भागीदारों को प्रदान की जाए।आपूर्ति शृंखला के सभी स्तरों पर संचार के माध्यम अच्छे हैं व इन्हें खुला रखा जाता है।

3. तीसरा सिद्धांत : उचित व्यापार आचरण
संगठन व्यापार के दौरान अधिकारहीन छोटे उत्पादकों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावर्णीय कल्याण से सरोकार रखता है और उनके खर्च पर अधिकतम लाभ नहीं उठाता है। यह समय पर और उचित तरीके से अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है और पेशेवर रवैया अपनाता है। आपूर्तिकर्ता अनुबंधों का सम्मान करते हैं और समय पर और वांछित गुणवत्ता और विशेषताओं के अनुसार उत्पादों को पहुँचाते हैं।

उचित व्यापार के खरीददार, उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं को होने वाले वित्तीय नुकसान को समझकर यह सुनिश्चित करते हैं कि आदेशों का भुगतान दस्तावेजों की रसीद व संलग्न दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाए। हस्तशिल्प के एफटी/उचित व्यापार उत्पादों के लिए, कम से कम 50% की ब्याज मुक्त पूर्व भुगतान अनुरोध करने पर किया जाता है। यदि अनुरोध खाद्य एफटी/उचित व्यापार उत्पादों के लिए है तो एक उचित ब्याज दर पर कम से कम 50% का पूर्व भुगतान किया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिये गए भुगतान की ब्याज दरों को तीसरे पक्ष से उधार ली गई खरीदारों की 'लागत से अधिक नहीं होना चाहिए। ब्याज लगाना आवश्यक नहीं है।

जहां दक्षिणी उचित व्यापार आपूर्तिकर्ताओं को खरीदारों से पूर्व भुगतान प्राप्त होता है वे यह सुनिश्चित करते हैं कि

यह भुगतान उन उत्पादकों या किसानों को पारित हो जो उचित व्यापार के उत्पाद उत्पादित करते हैं या उगाते हैं।

खरीददार आदेश को रद्द या खारिज करने से पहले आपूर्तिकर्ताओं के साथ परामर्श करें। यदि आदेश उत्पादकों या आपूर्तिकर्ताओं की गलती के कारणवश नहीं रद्द किए गए हों तो रद्द किए गए आदेशों के लिए पर्याप्त मुआवजे की गारंटी है। आपूर्तिकर्ताओं और उत्पादकों को यदि आदेशों की पूर्ति में कोई समस्या हो तो खरीदकर्ताओं से परामर्श करें और सुनिश्चित करें की जब आपूर्ति की गई मात्रा व गुण चालान से मेल न कर रहें हों तो मुआवजा प्रदान किया जाए।

संगठन एकता, विश्वास और आपसी सम्मान के आधार पर लंबी अवधि के संबंध बनाए रखता है जो उचित व्यापार को बढ़ावा देने और विकास में योगदान करते हैं। यह अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ प्रभावी संचार को बनाए रखता है। व्यापारिक रिश्ते में शामिल दल उनके बीच व्यापार की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं और उनके उत्पादों के महत्व व विविधता की पेशकश उत्पादकों के लिए उचित व्यापार के माध्यम से करते हैं ताकि उनकी आय में वृद्धि की जा सके। संगठन देश में अन्य उचित व्यापार संगठनों के साथ मिलकर काम करता है और अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचता है। यह अनुमति के बिना अन्य संगठनों के पैटर्न की डिजाइन की नकल करने से भी दूर रहता है।

उचित व्यापार छोटे उत्पादकों की कला डिजाइन, खाद्य उत्पादों और अन्य संबंधित सेवाओं के रूप में परिलक्षित सांस्कृतिक पहचान व परंपरागत कौशल को मान्यता व बढ़ावा देता है व रक्षा करता है ।

4. चौथा सिद्धांत : उचित मूल्य पर भुगतान

एक उचित मूल्य उसे कहते हैं जो परस्पर संवाद और भागीदारी के माध्यम से परस्पर सहमति के द्वारा तय किया गया हो और जो उत्पादकों को उचित वेतन प्रदान करता है व बाज़ार द्वारा मान्य/बनाए रखा जाता है। जहां भी उचित व्यापार का मूल्य निर्धारण ढांचा मौजूद हो वहाँ इसका न्यूनतम उपयोग किया जाता है। उचित वेतन का अर्थ है सामाजिक तौर पर मान्य परिश्रमिक (स्थानीय संदर्भ में)का प्रावधान जिसे स्वयं उत्पादकों द्वारा उपयुक्त समझा जाए और जो स्त्री व पुरुष के समान कार्य समान वेतन के सिद्धान्त के अनुसार हो। उचित व्यापार के विपणन व आयात करने वाले संगठन उत्पादकों की उनकी आवश्यकता के अनुसार क्षमता निर्माण का समर्थन करते हैं ताकि वे उचित मूल्य निर्धारित कर सकें।

5. पाँचवाँ सिद्धांत: सुनिश्चित करना की बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी ना हो

संगठन संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारों के कन्वेंशन, और बच्चों के रोजगार पर राष्ट्रीय/ स्थानीय कानून का पालन करता है। संगठन यह सुनिश्चित करता है कि उसके कर्मचारियों और /या सदस्यों या घरेलू कार्यकर्ताओं में किसी भी प्रकार का बेगार नहीं करवाया जाए।

संगठन जो उचित व्यापार के उत्पाद उत्पादक दलों से सीधे या बिचौलियों के माध्यम से लेते हैं सुनिश्चित करते हैं कि उत्पादन में बेगार /जबरन कार्य न करवाया गया हो और उत्पादक संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारों के कन्वेंशन, और बच्चों के रोजगार पर स्थानीय / राष्ट्रीय कानून का अनुपालन करते हों। उचित व्यापार के उत्पादों के उत्पादन में बछों की किसी भी प्रकार की भागीदारी (एक पारंपरिक कला या शिल्प सीखने सहित) का खुलासा हो और निगरानी हो की इससे बच्चों की भलाई,सुरक्षा,शैक्षिक आवश्यकताओं या उनकी खेलने की आवश्यकता पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े।

6. छठवाँ सिद्धांत: गैर भेदभाव, लिंग समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सभा की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता

संगठन भर्ती,पारिश्रमिक, प्रशिक्षण ,पदोन्नति,निष्कासन,या सेवानिवृत्ति में
नस्ल,जाति ,राष्ट्रीयता,धर्म,विकलांगता, लिंग, यौन अभिविन्यास,संघ की सदस्यता, राजनीतिक संबद्धता, एचआईवी /एड्स या उम्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।

संगठन एक स्पष्ट नीति और योजना के द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और सुनिश्चित करता है कि महिलाओं के साथ ही पुरुषों में भी संसाधनों तक पहुँचने की क्षमता हो उन्हें उत्पादक बनने की आवश्यकता है और यह योग्यता भी होनी चाहिए की वे व्यापक नीति,विनियामक,व संस्थागत माहौल को प्रभावित कर सकें जो उनकी आजीविका और जीवन को आकार देता है। संगठनात्मक संविधान और उप नियम अनुमति देते हैं व महिलाओं को सक्षम बनाते हैं जिससे वे स्वयं अपने अधिकार से संगठन की सदस्य बन सकें (जहां यह सदस्यता आधारित संगठन है) और ज़मीन व संपत्ति के स्वामित्व की परवाह किए बिना शासन संरचना में नेतृत्व वाले पदों पर कार्य कर सकें। जहां महिलाएं संगठन के भीतर कार्यरत हैं,वहाँ भी जहां वे एक अनौपचारिक रोजगार कर रही हों उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता है। संगठन महिलाओं के पूर्ण रोजगार के अधिकार को मान्यता देता है और महिलाओं को उनके पूर्ण वैधानिक रोजगार लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की विशेष स्वास्थ्य और सुरक्षा जरूरतों का विशेष ध्यान रखता है। संगठन अपने सभी कर्मचारियों के अपनी पसंद के ट्रेड यूनियनों बनाने और शामिल होने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का सम्मान करता है। जहां ट्रेड यूनियनों में शामिल होने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार कानून और / या राजनीतिक माहौल के कारण प्रतिबंधित है वहाँ संगठन कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र और मुक्त संघ और सौदेबाजी के साधन के जुटाएगा। संगठन सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ कार्यस्थल में भेदभाव ना किया जाए।

डबल्यूएफ़टीओ ने 10 सिद्धांतों का प्रावधान किया है जिन्हें उचित व्यापार संगठनों को अपने दैनंदिन कार्यों में पालन करना होगा और इन सिद्धांतों को बरकरार रखे जाने को सुनिश्चित करने के लिए इनकी निगरानी भी की जाती है:

1. पहला सिद्धांत: आर्थिक रूप से वंचित उत्पादकों के लिए अवसर पैदा करना

व्यापार के माध्यम से गरीबी उन्मूलन संगठन के उद्देश्यों का एक प्रमुख हिस्सा है। संगठन अधिकारहीन/हाशिये पर पड़े छोटे उत्पादकों का समर्थन करता है भले ही वह स्वतंत्र पारिवारिक व्यवसाय में लगे हों या संघ या सहकारी समितियों में वर्गीकृत किए गए हों। यह उन्हें आय की असुरक्षा व गरीबी से आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वामित्व की ओर ले जाने का प्रयास करता है। संगठन के पास इसे कार्यान्वित किए जाने के लिए एक योजना है।

2. दूसरा सिद्धांत : पारदर्शिता और जवाबदेही

संगठन अपने प्रबंधन और वाणिज्यिक संबंधों में पारदर्शी है। यह अपने सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेह है और दी गई व्यावसायिक जानकारी की संवेदनशीलता और गोपनीयता का सम्मान करता है। संगठन अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में कर्मचारियों, सदस्यों और उत्पादकों को शामिल करने के लिए उचित भागीदारी तरीके अपनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रासंगिक जानकारी अपने सभी व्यापार भागीदारों को प्रदान की जाए।आपूर्ति शृंखला के सभी स्तरों पर संचार के माध्यम अच्छे हैं व इन्हें खुला रखा जाता है।

3. तीसरा सिद्धांत : उचित व्यापार आचरण

संगठन व्यापार के दौरान अधिकारहीन छोटे उत्पादकों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावर्णीय कल्याण से सरोकार रखता है और उनके खर्च पर अधिकतम लाभ नहीं उठाता है। यह समय पर और उचित तरीके से अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है और पेशेवर रवैया अपनाता है। आपूर्तिकर्ता अनुबंधों का सम्मान करते हैं और समय पर और वांछित गुणवत्ता और विशेषताओं के अनुसार उत्पादों को पहुँचाते हैं।

उचित व्यापार के खरीददार, उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं को होने वाले वित्तीय नुकसान को समझकर यह सुनिश्चित करते हैं कि आदेशों का भुगतान दस्तावेजों की रसीद व संलग्न दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाए। हस्तशिल्प के एफटी/उचित व्यापार उत्पादों के लिए, कम से कम 50% की ब्याज मुक्त पूर्व भुगतान अनुरोध करने पर किया जाता है। यदि अनुरोध खाद्य एफटी/उचित व्यापार उत्पादों के लिए है तो एक उचित ब्याज दर पर कम से कम 50% का पूर्व भुगतान किया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिये गए भुगतान की ब्याज दरों को तीसरे पक्ष से उधार ली गई खरीदारों की 'लागत से अधिक नहीं होना चाहिए। ब्याज लगाना आवश्यक नहीं है।

जहां दक्षिणी उचित व्यापार आपूर्तिकर्ताओं को खरीदारों से पूर्व भुगतान प्राप्त होता है वे यह सुनिश्चित करते हैं कि यह भुगतान उन उत्पादकों या किसानों को पारित हो जो उचित व्यापार के उत्पाद उत्पादित करते हैं या उगाते हैं।

खरीददार आदेश को रद्द या खारिज करने से पहले आपूर्तिकर्ताओं के साथ परामर्श करें। यदि आदेश उत्पादकों या आपूर्तिकर्ताओं की गलती के कारणवश नहीं रद्द किए गए हों तो रद्द किए गए आदेशों के लिए पर्याप्त मुआवजे की गारंटी है। आपूर्तिकर्ताओं और उत्पादकों को यदि आदेशों की पूर्ति में कोई समस्या हो तो खरीदकर्ताओं से परामर्श करें और सुनिश्चित करें की जब आपूर्ति की गई मात्रा व गुण चालान से मेल न कर रहें हों तो मुआवजा प्रदान किया जाए।

संगठन एकता, विश्वास और आपसी सम्मान के आधार पर लंबी अवधि के संबंध बनाए रखता है जो उचित व्यापार को बढ़ावा देने और विकास में योगदान करते हैं। यह अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ प्रभावी संचार को बनाए रखता है। व्यापारिक रिश्ते में शामिल दल उनके बीच व्यापार की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं और उनके उत्पादों के महत्व व विविधता की पेशकश उत्पादकों के लिए उचित व्यापार के माध्यम से करते हैं ताकि उनकी आय में वृद्धि की जा सके। संगठन देश में अन्य उचित व्यापार संगठनों के साथ मिलकर काम करता है और अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचता है। यह अनुमति के बिना अन्य संगठनों के पैटर्न की डिजाइन की नकल करने से भी दूर रहता है।

उचित व्यापार छोटे उत्पादकों की कला डिजाइन, खाद्य उत्पादों और अन्य संबंधित सेवाओं के रूप में परिलक्षित सांस्कृतिक पहचान व परंपरागत कौशल को मान्यता व बढ़ावा देता है व रक्षा करता है ।

4. चौथा सिद्धांत : उचित मूल्य पर भुगतान

एक उचित मूल्य उसे कहते हैं जो परस्पर संवाद और भागीदारी के माध्यम से परस्पर सहमति के द्वारा तय किया गया हो और जो उत्पादकों को उचित वेतन प्रदान करता है व बाज़ार द्वारा मान्य/बनाए रखा जाता है। जहां भी उचित व्यापार का मूल्य निर्धारण ढांचा मौजूद हो वहाँ इसका न्यूनतम उपयोग किया जाता है। उचित वेतन का अर्थ है सामाजिक तौर पर मान्य परिश्रमिक (स्थानीय संदर्भ में)का प्रावधान जिसे स्वयं उत्पादकों द्वारा उपयुक्त समझा जाए और जो स्त्री व पुरुष के समान कार्य समान वेतन के सिद्धान्त के अनुसार हो। उचित व्यापार के विपणन व आयात करने वाले संगठन उत्पादकों की उनकी आवश्यकता के अनुसार क्षमता निर्माण का समर्थन करते हैं ताकि वे उचित मूल्य निर्धारित कर सकें।

5. पाँचवाँ सिद्धांत: सुनिश्चित करना की बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी ना हो

संगठन संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारों के कन्वेंशन, और बच्चों के रोजगार पर राष्ट्रीय/ स्थानीय कानून का पालन करता है। संगठन यह सुनिश्चित करता है कि उसके कर्मचारियों और /या सदस्यों या घरेलू कार्यकर्ताओं में किसी भी प्रकार का बेगार नहीं करवाया जाए।

संगठन जो उचित व्यापार के उत्पाद उत्पादक दलों से सीधे या बिचौलियों के माध्यम से लेते हैं सुनिश्चित करते हैं कि उत्पादन में बेगार /जबरन कार्य न करवाया गया हो और उत्पादक संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारों के कन्वेंशन, और बच्चों के रोजगार पर स्थानीय / राष्ट्रीय कानून का अनुपालन करते हों। उचित व्यापार के उत्पादों के उत्पादन में बछों की किसी भी प्रकार की भागीदारी (एक पारंपरिक कला या शिल्प सीखने सहित) का खुलासा हो और निगरानी हो की इससे बच्चों की भलाई,सुरक्षा,शैक्षिक आवश्यकताओं या उनकी खेलने की आवश्यकता पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े।

6. छठवाँ सिद्धांत: गैर भेदभाव, लिंग समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सभा की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता

संगठन भर्ती,पारिश्रमिक, प्रशिक्षण ,पदोन्नति,निष्कासन,या सेवानिवृत्ति में
नस्ल,जाति ,राष्ट्रीयता,धर्म,विकलांगता, लिंग, यौन अभिविन्यास,संघ की सदस्यता, राजनीतिक संबद्धता, एचआईवी /एड्स या उम्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।

संगठन एक स्पष्ट नीति और योजना के द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और सुनिश्चित करता है कि महिलाओं के साथ ही पुरुषों में भी संसाधनों तक पहुँचने की क्षमता हो उन्हें उत्पादक बनने की आवश्यकता है और यह योग्यता भी होनी चाहिए की वे व्यापक नीति,विनियामक,व संस्थागत माहौल को प्रभावित कर सकें जो उनकी आजीविका और जीवन को आकार देता है। संगठनात्मक संविधान और उप नियम अनुमति देते हैं व महिलाओं को सक्षम बनाते हैं जिससे वे स्वयं अपने अधिकार से संगठन की सदस्य बन सकें (जहां यह सदस्यता आधारित संगठन है) और ज़मीन व संपत्ति के स्वामित्व की परवाह किए बिना शासन संरचना में नेतृत्व वाले पदों पर कार्य कर सकें। जहां महिलाएं संगठन के भीतर कार्यरत हैं,वहाँ भी जहां वे एक अनौपचारिक रोजगार कर रही हों उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता है। संगठन महिलाओं के पूर्ण रोजगार के अधिकार को मान्यता देता है और महिलाओं को उनके पूर्ण वैधानिक रोजगार लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की विशेष स्वास्थ्य और सुरक्षा जरूरतों का विशेष ध्यान रखता है। संगठन अपने सभी कर्मचारियों के अपनी पसंद के ट्रेड यूनियनों बनाने और शामिल होने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का सम्मान करता है। जहां ट्रेड यूनियनों में शामिल होने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार कानून और / या राजनीतिक माहौल के कारण प्रतिबंधित है वहाँ संगठन कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र और मुक्त संघ और सौदेबाजी के साधन के जुटाएगा। संगठन सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ कार्यस्थल में भेदभाव ना किया जाए।

7. सातवाँ सिद्धांत: काम के दौरान अच्छी स्थितियां सुनिश्चित करना

संगठन कर्मचारियों और/या सदस्यों के लिए कार्य स्थल पर एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है। यह कम से कम स्वास्थ्य और सुरक्षा पर राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों और आईएलओ कन्वेन्शनों की अनुपालना करता है।

कर्मचारियों और/या सदस्यों (और किसी भी होमवर्कर /घरेलू कामगारों)के काम के घंटों और शर्तों हेतु राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों और आईएलओ सम्मेलनों द्वारा स्थापित शर्तों का अनुपालन करता है।

उचित व्यापार संगठन उत्पादक दलों,जिनसे वे खरीदते हैं,के स्वस्थ्य व सुरक्षा शर्तों की स्थिति के बारे में जागरूक रहते हैं। वे नियमित तौर पर स्वस्थ्य व सुरक्षा के मुद्दों पर जागरूकता को बढ़ावा देते हैं और उत्पादकों द्वारा स्वस्थ्य व सुरक्षा व्यवहार में सुधार चाहते हैं।

8. आठवां सिद्धांत: क्षमता निर्माण उपलब्ध करवाना

संगठन उचित व्यापार के माध्यम से छोटे, हाशिये पर पड़े/अधिकारहीन उत्पादकों के लिए सकारात्मक विकास के प्रभावों को बढ़ाना चाहता है।

संगठन अपने स्वयं के कर्मचारियों या सदस्यों के कौशल और क्षमताओं को विकसित करता है। छोटे उत्पादकों के साथ सीधे कार्य करने वाले संगठन विशिष्ट गतिविधियों के द्वारा इन उत्पादकों के प्रबंधन कौशल,उत्पादन क्षमता, बाज़ारों तक पहुँच को - स्थानीय/ क्षेत्रीय/अंतरराष्ट्रीय/ उचित व्यापार और मुख्य धारा जो भी उपयुक्त हो के द्वारा सुधारने में मदद करते हैं। संगठन जो उचित व्यापार के उत्पाद दक्षिण में उचित व्यापार के बिचौलियों से खरीदते हैं उन संगठनों की मदद करते हैं ताकि वे हाशिये पर खड़े उत्पादकों जिनके साथ वे कार्य करते हैं की क्षमता विकास में सहायता कर सकें।

9. नवां सिद्धांत: उचित व्यापार को बढ़ावा देना

संगठन उचित व्यापार के उद्देश्यों के बारे में और विश्व व्यापार में अधिक न्याय की आवश्यकता के बारे में जागरूकता को उचित व्यापार द्वारा बढ़ावा देता है। यह संगठन के दायरे के अनुसार उचित व्यापार के उद्देश्यों और गतिविधियों की वकालत करता है। संगठन स्वयं के बारे में,अपने उत्पाद जिनका यह विपणन करता है और उत्पादक संगठन या सदस्यों की जानकारी अपने ग्राहकों को प्रदान करता है । विज्ञापनों व विपणन तकनीकों में सदा ईमानदारी बरती जाती है।

10. दसवां सिद्धांत : पर्यावरण का सम्मान

संगठन जो उचित व्यापार के उत्पाद उत्पादित करते हैं अपनी अधिकतम कच्चे माल की खरीद नवीकरणीय स्त्रोतों से व जहां तक संभव हो स्थानीय तौर पर खरीदते हैं। वे ऐसी उत्पादन तकनीक का प्रयोग करते हैं जिससे ऊर्जा की खपत कम हो और जहां संभव हो वहाँ गैर पारंपरिक /नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं ताकि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन न्यूनतम किया जा सके। वे अपशिष्ट धारा को भी न्यूनतम रखते हैं ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके। उचित व्यापार के कृषि उत्पादक जहां संभव हो वहाँ कम कीटनाशकों का प्रयोग करके या जैविक कीटनाशकों के द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करते हैं।

उचित व्यापार उत्पादों के खरीददार व आयातक ऐसे उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं नवीकरणीय स्त्रोतों से उत्पन्न किए गए हों और पर्यावरण पर जिनका समग्र प्रभाव न्यूनतम हो।

सभी संगठन यथा संभव सीमा तक पैकिंग के लिए पुनर्नवीनीकरण या प्राकृतिक रूप से सड़ने वाली सामग्री का उपयोग करते हैं और जहां भी संभव हो सामान को समुद्र के रास्ते से भेजते हैं।

एक प्रतिलिपि यहाँ डाउनलोड करें।

The Hindi translation was facxilitated by MESH with financial support from SMC/SIDA and IM.
SMC/SIDA and IM do not necessarily share the views and opinions presented here.